



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2016/आषाढ़ 22, 1938

No. 479]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2016/ASADHA 22, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 6 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (समूह – क, समूह-ख और समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सचिव	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन-10000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
उप सचिव	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन-7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन-7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अवर सचिव	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन-6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अनुभाग अधिकारी	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सहायक	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
निजी सचिव	पांच (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
वैयक्तिक सहायक	पांच (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लेखाकार	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
उर्दू अनुवादक	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन-4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आशुलिपिक ग्रेड- 'घ'	तीन (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन - 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
रीडर/उच्च श्रेणी लिपिक	एक (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन - 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अवर श्रेणी लिपिक	दो (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन - 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
बहु कार्य कर्मचारीवृन्द	सात (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन - 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि, विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति यह पद गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत आने वाला पद है, जिसे भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सिविल सेवाएं बोर्ड (सीएसबी) प्रक्रिया से भरा जाए :- (क) अधिकारी, जो 32001/- रु. (पूर्व-पुनरीक्षित) मूल वेतन या सेवा के ज्येष्ठ समय-वेतनमान में अधिक वेतन ले रहें हों। (ख) जिन्होंने समूह 'क' में सत्रह वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :- i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	<p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 3, वेतनमान 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन - 6600/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p>		
प्रतिनियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 3, वेतनमान 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन - 6600/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 3, वेतनमान 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन - 5400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p>या</p> <p>iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 3, वेतनमान 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन - 4800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	<p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो।</p> <p>या</p> <p>iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p>		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो।</p> <p>या</p> <p>iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :- i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :- i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन -2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी :-	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	<p>i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>ii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन -2000/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p>या</p> <p>iii. जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 1900/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो।</p>		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फा. सं. 7-7/2007-अल्पसंख्यक सेल]

बी. के. पाण्डे, आर्थिक सलाहकार (उच्चतर शिक्षा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 6 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Group-A, Group-B and Group-C posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or scale of pay.—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Secretary	One (2016)	General Central Service, Group A Gazetted, Ministerial	Rs.37400-67000 (PB-4) Grade Pay Rs.10,000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Deputy Secretary	One (2016)	General Central Service, Group A Gazetted, Ministerial	Rs.15600-39100 (PB-3) Grade Pay Rs.7,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Senior Principal Private Secretary	One (2016)	General Central Service, Group A Gazetted, Ministerial	Rs.15600-39100 (PB-3) Grade Pay Rs.7,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Under Secretary	One (2016)	General Central Service, Group A Gazetted, Ministerial	Rs.15600-39100 (PB-3) Grade Pay Rs.6,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Section Officer	One (2016)	General Central Service, Group B Gazetted, Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Assistant	One (2016)	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Private Secretary	Five (2016)	General Central Service, Group B Gazetted, Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Personal Assistant	Five (2016)	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Accountant	One (2016)	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Librarian	One (2016)	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Urdu Translator	One (2016)	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade Pay Rs.4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Steno-grapher Grade-D	Three (2016)	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Ministerial	Rs.5200-20200/- (PB-1) Grade Pay Rs.2,400	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Reader/ Upper Division Clerk	One (2016)	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Ministerial	Rs.5200-20200/- (PB-1) Grade Pay Rs.2,400	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Lower Division Clerk	Two (2016)	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Ministerial	Rs.5200-20200/- (PB-1) Grade Pay Rs.1,900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Multi-Tasking Staff	Seven (2016)	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20200/- (PB-1) Grade Pay Rs.1,800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation: The post is a Non-Central Staffing Scheme post to be filled up through the Civil Services Board (CSB) procedure by the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India:- (a) by Officers drawing a basic pay of Rs.32001/- (pre-revised) or more in the senior time-scale of service. (b) with seventeen years of service in Group-A.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation	Deputation: Officers under the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs.6600/- or equivalent in the parent cadre or department.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation	Deputation: Officers under the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs.6600/- or equivalent in the parent cadre or department.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation	Deputation: Officers under the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs.5400/- or equivalent in the parent cadre or department;	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	<p>Or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs.4800/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>		
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-2 in the scale of pay of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-2 in the scale of pay of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-2 in the scale of pay of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department;</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-2 in the scale of pay of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p>	Not applicable	Consultation with union public service commission not necessary.

	<p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>		
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2000/- or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in PB-1 in the scale of pay of Rs.5200-20200/- with Grade Pay of Rs.1900/- or equivalent in the parent cadre or department.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Deputation (including short term contract)	Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:- holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Deputation (including short term contract)	Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or Recognized research institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations:- holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 7-7/2007-Minority Cell]

B. K. PANDEY, Economic Advisor (Higher Education)